# निर्णय बइजलास द्वारा श्री शक्ति सिंह भाटी (R.A.S.) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द

प0सं0 7/2013 प्रा0पत्र

निर्णय दिनांक :– 16.9.2019

**अनवान**

1 श्री नारू पिता श्री सुरता जी जाति कलाल निवासी आंजना का भंवरिया तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द

———प्रार्थी

**बनाम**

1 श्री गोवर्धन सिहं वगैरह–(51)

———विपक्षीगण

## प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 112 आर.टी.ए. एंव 151 सीपीसी

**उपस्थित :– 01. श्री इन्द्रमल कंसारा वकील प्रार्थी**

**02. श्री नरेश जोशी वकील विपक्षी**

प्रार्थी का प्रा.पत्र संक्षेप मे इस प्रकार प्रस्तुत हुआ कि प्रार्थी द्वारा एक मुलवाद बाबत घोषणा एंव स्थाई निषेधाज्ञा का इस न्यायालय मे पेश किया जो सच्चे एंव ठोस तथ्यो के आधार पर होकर प्रार्थी को इसमे सफलता मिलने की पूरी संभावना है। प.ह. देवगढ तह0 देवगढ के खा.नं. 976/1192 ख.नं. 3019/31 रकबा 125.10 बीघा है जिसमे मुझ प्रार्थी ने जरिये स्टाम्प दिनांक 20.9.1961 से विपक्षी सं. 1 से 46 एंव विपक्षी सं. 47,48,49,50 के तत्कालीन खातेदारान के पिता से 12.03 बीघा भूमि खरीदी थी तब से आज दिनांक तक मुझ प्रार्थी का निरन्तर निर्विहन रूप से कब्जा कास्त चला आ रहा है मुझ विपक्षी ने तत्कालीन खातेदारान श्री मान सिहं पिता मोट सिहं, श्री डुंगर सिहं पिता बुद्वा सिह, श्री केशर सिह पिता बुद्वा सिह, श्री काना पिता बालु माली, श्री नाथु पिता नन्दा माली, श्री नाथु सिह पिता रतन सिह, श्री खुमा पिता नन्दा जी कलाल, कस्तुर पिता नन्दा माली से किमतन 99.00/–रूपये मे खरीद कर 12.03 बीघा भूमि पर वक्त खरीद सन् 1961 से प्राप्त किया तब से आज दिनांक तक कब्जा काश्त है। विक्रय करने वाले आठो व्यक्तियों का स्वर्गवास हो गया है एंव उनके वारिसान सभी विपक्षीगण है जिसका इन्द्राज चालू जमाबंदी मे है उनके स्वर्गवास के बाद उनके वारिसान के नाम राजस्व रेकार्ड में नाम अंकन हो गया। मै प्रार्थी अनपढ वृद्व हूँ मुझे इस बात की जानकारी पूर्व मे नही हुई कि मेरा नाम राजस्व रेकार्ड मे अंकन नही है। मैरे द्वारा हल्का पटवारी से राजस्व रेकार्ड की प्रतिलिपि लेने पर ज्ञात हुआ कि मैरा नाम खाते में दर्ज नही है इसलिये यह वाद न्यायालय मे पेश है। विपक्षी सं. 1 से

सहायक कलेक्टर
देवगढ़ जिला-राजसमन्द

रूप से अंकित है जबकि उक्त आराजियात मे से 12.03 बीघा भूमि पर प्रार्थी का निरन्तर निर्बोध कब्जा चला आ रहा है एंव उक्त आराजियात प्रार्थी द्वारा क्रय की गई है परन्तु प्रार्थी का नाम राजस्व रेकार्ड मे अंकन नही है जिसका लाभ उठाकर विपक्षीगण कभी भी उक्त आराजियात को जो विपक्षीगण का है ही नही परन्तु जमाबंदी मे दर्ज होने से वह किसी भी समय अन्य व्यक्ति को विक्रय कर सकते है। इसलिये अस्थाई निषेधाज्ञा का यह प्रा.पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। यदि विपक्षीगण गलत अंकन का फायदा उठाकर उक्त आराजियात अन्य व्यक्ति को बय रहन करते है तो प्रार्थीगण को अपुरणीय क्षति होगी। प्रार्थीगण का प्रा.पत्र प्रथम दृष्टया साबित है, सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष का है वाद मे विपक्षी सं. 51 सबरजिस्ट्रार देवगढ को आवश्यक पक्षकार बनाया गया है क्योकि भूमि का यदि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र रहन पत्र किया जाता है तो वह सबरजिस्ट्रार देवगढ द्वारा ही रजिस्टर्ड किया जाऐगा। अस्थाई निषेधाज्ञा से सब रजिस्ट्रार देवगढ को पाबन्द किया जावे कि दौराने बाद उक्त वाद ग्रस्त आराजियात किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में कोई बय बक्षीश रहन पत्र को रजिस्टर्ड नहीं करे नहीं राजस्व रिकोर्ड में किसी प्रकार का परिवर्तन करें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर्ड कर विपक्षीगण को मय नकल प्रार्थना पत्र के सम्मन जारी किये गये। प्रत्युतर में विपक्षी सं. 1,5,6,9,10,13,14,16,20,21,22,34,35,37,41,45 ने जवाब पेश किया सभी विपक्षीगण ने जवाब में निवेदन किया है कि प्रार्थी को विपक्षी संख्या 20,21,19,22,34,35,37,41,45 द्वारा व उनके पूर्वाधिकार द्वारा प्रार्थनागस्त भूमि 99.00 रूपये में दिनांक 20.09.1961 को बेचान किया जाना गलत है। प्रार्थी को उपरोक्त बिकाव किया गया होता तो मोके पर प्रार्थी का कब्जा होता मौके पर प्रार्थी का कब्जा होता प्रार्थी के पक्ष में कोई विक्रय पत्र इकरार निष्पादित नहीं किया गया है। इसलिए प्रार्थी के पक्ष में कोई ना.क. नहीं खोला गया विपक्षी संख्या 20,21,19,22,34,35,37,41,45 कि पक्ष में खोला गया ना.क. पूर्व रूप से वैध है वर्तमान नक्शा ट्रेस में विपक्षी सं. 20,21,19,22,34,35,37,41,45 का कब्जा अनुसार अंकित हो चुका हैं। नक्शा ट्रेस में प्रार्थी का कोई अंकन नहीं है। प्रार्थी द्वारा पेश तथाकथित दस्तावेज दस्तावेज फर्जी है। प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य व आराजियात के संबंध मे प्रार्थी द्वारा पूर्व में दिनांक 24.08.2012 को पेश किया गया जिसके मु.न. 10/13 है जो आज न्यायलय में ही पेश किया गया है तथा अनुतोष भी एक जैसा था ऐसी स्थिति में एक जैसे तथ्यों के आधार पर दुसरा दावा चलने योग्य नहीं है साथ ही प्रार्थी ने पूर्व में प्रार्थना पत्र पेश करने के तथ्यों को छुपाते हुए यह दावा पेश किया है ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा क्लीन लेंड से आप न्यायलय में नहीं आने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है खारीज योग्य है। प्रार्थी ने विपक्षी संख्या 20,21,19,22,34,35,37,41,45 की भूमियों को हडपने के आशय से फर्जी बेचाननामा तैयार किया है जो पर्याप्त स्टाम्प नहीं होने व अपंजीकृत होने से उक्त दस्तावेज से प्रार्थी को हक अधिकार प्राप्त नहीं होता है। पर्याप्त स्टाम्प व अपंजीकृत होने से उक्त बेचाननामा साक्ष्य में ग्रहयन नहीं है। प्रार्थनाग्रस्त भूमि का किमत 99.00 रूपये से अधिक थी तथाकथित फर्जी दस्तावेज का रजिस्ट्रेशन आवश्यक था प्रार्थनाग्रस्त अराजियात के संबंध में कई विक्रय पत्र निस्पादित हो चुके है इन्हे प्रार्थी द्वारा निरस्त नहीं करवाया गया है। उक्त विक्रय पत्र निरस्त करवाने से पूर्व प्रार्थी कोई घोषणा करवाने का

सहायक कलेक्टर

ऐसी स्थिति में प्रार्थी धोषणा व बटवारा करवाने का अधिकार नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावे। अन्य विपक्षीगण द्वारा कोई जवाब पेश नहीं किया गया जिस पर उनका जवाब बन्द किया गया अभय पक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी। वकील प्रार्थी ने बहस में तर्क दिया की प्रार्थी अनपढ एवं वृद्व व्यक्ति है जिससे इस बात का पता नहीं था कि उसका नाम राजस्व रिकार्ड में अंकन नहीं है। प्रार्थी द्वारा ह.प. से राजस्व रिकार्ड की प्रतिलीपी लेने पर ज्ञात हुआ कि उसका नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित नहीं है। विपक्षी संख्या 1 से 50 के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित है वो गलत अंकित है। वाद ग्रस्त आराजी की भूमि 12.03 बीघा पर प्रार्थी का कब्जा है। उक्त आराजी प्रार्थी द्वारा क्रय कि गई है। परन्तु प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित नहीं है।जिसका लाभ उठा कर विपक्षीगण कभी भी किसी अन्य व्यक्ति को विक्रय कर सकते है इसलिये विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है। वकील विपक्षी ने बहस में तर्क दिया कि वाद ग्रस्त भूमि पर विपक्षीगण का न तो पूर्व में कभी कब्जा रहा नही वर्तमान में कब्जा है। वादग्रस्त भूमि दिनांक 20.09.1961 को 99.00 रूपये में बेचान किया जाना गलत है। यदि प्रार्थी को उक्त भूमि बिकाउ कि गई होती तो मौके पर प्रार्थी का कब्जा होता प्रार्थी के पक्ष में कोई विक्रय पत्र ईकरार निष्पादित नही किया गया है। इसलिये प्रार्थी के पक्ष में कोई ना.क. नहीं खोला गया। विपक्षी संख्या 20,21,19,22,34,35,37,41,45 के पक्ष में खेला गया ना.क. पूर्व रूप से वैध है। प्रार्थी ने विपक्षीगण का भूमि हडपने की नियत से फर्जी बेचाननामा तैयार किया है जो पर्याप्त सटाम्प नहीं होने व अपंजिकृत होने से उक्त दस्तावेज से प्रार्थी को कोई हक अधिकार प्राप्त नहीं होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

हमने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र जवाब विपक्षीगण प्रार्थी द्वारा पेश अनरजिस्टर्ड बिकावपत्र नकल जमाबंदी एवं पत्रावली में सलग्न अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया तथा विपक्षी अधिवक्तागण का बहस पर मनन किया। उपरोक्त विवेनच से स्पष्ट है कि प्रश्नागत भूमि प्रार्थी द्वारा दिनांक 20.09.1961 को क्रय की गई थी लेकिन प्रार्थी ने क्रयशुदा भूमि का पंजियन नहीं करवाया जिससे भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज नहीं हो सकी ।प्रार्थी प्रश्नागत भूमि अपने नाम दर्ज कराने का अधिकार है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तथ्य प्रकरण में जारी दिनांक 27.06.1918 को जारी स्थागण आदेश को कन्फर्म किया जाता है एवं विपक्षी संख्या 1 से 50 को स्थाई निषेज्ञाधा से पाबन्द किया जाता है कि ग्राम देवगढ प.ह. देवगढ में स्थित खा. न. 976/1192 ख. न. 3019/31 रकबा 125.10 बीघा भूमि को किसी अन्य व्यक्ति को रहन बय नहीं करे साथ ही विपक्षी संख्या 51 को पाबन्द किया जाता है कि उक्त आराजी भूमि का रजिस्टर्ड बिकाव बक्षीश अथवा रहन किसी अन्य व्यक्ति के नाम नहीं करे तथा राजस्व रिकार्ड में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। निर्णय आज दिनांक16.09.2019 को खुले न्यायलय सुनाया गया पत्रावली फेसलशूमार हो नम्बर से कम कि जाकर मूलवाद के साथ सलग्न की जावे।

सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी
देवगढ जिला-राजसमन्द